रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2237] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 2014/कार्तिक 9, 1936
No. 2237] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2014/KARTIKA 9, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2803(अ).—जबकि, किन्हीं व्यक्तियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिए, आतंकवादी कृत्यों से निपटने हेतु विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित किया गया है;

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) में, 'आतंकवादी संगठन' से अभिप्राय उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन अथवा इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के रूप में उसी नाम से सक्रिय संगठन है;

और जबकि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में ऐसे आतंकवादी संगठनों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है;

और जबकि कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, असम और पश्चिम बंगाल में सक्रिय एक उग्रवादी संगठन है, जो वर्ष 1993 में अस्तित्व में आया तथा असम के चौदह जिलों और पश्चिम बंगाल के छह जिलों में संगठनात्मक रूप से तथा शस्त्रों एवं काडरों के स्तर पर दोनों तरह से अपनी स्थिति मजबूत करता रहा है और एक पृथक 'सम्प्रभु कामतापुर राज्य' बनाने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए, निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा बलों की हत्या करके आतंकवाद का सहारा लेने के अतिरिक्त लूटने, अपहरण करने, बारूदी सुरंग बिछाने एवं बम धमाका कराने सहित अन्य हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहा है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार मानती है कि कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन आतंकवाद में संलिप्त है;

अतः, अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तथा इसके सभी घटकों और प्रमुख संगठनों को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव करती है और उक्त प्रयोजन हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, क्रम संख्या 36 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी अर्थात् :-

"37. कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके सभी घटक और प्रमुख संगठन।"

[फा. सं. 11011/12/2014-एन ई-V]

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2014

S.O. 2803(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities;

And whereas, uner clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organization' means an organization listed in the First Schedule or an organization operating under the same name as an organization so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains specifies the list of such terrorist organizations;

And whereas the Kamatapur Liberation Organisation, a militant outfit operating in Assam and West Bengal, which came into existence in 1993 has been consolidating its position in the fourteen Districts in Assam and six Districts in West Bengal both organizationally and in terms of weapons and cadres and to achieve the objective of a separate 'Sovereign Kamatapur State', besides resorting to terrorism in the form of killing of innocent civilians and security forces and engaging in other violent activities including looting, kidnapping, land-mine and bomb blasting.

And whereas, the Central Government believes that the Kamatapur Liberation Organisation is involved in terrorism;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government proposes to add the Kamatapur Liberation Organisation and all its formation and front organisations as a terrorist organization in the First Schedule to the said Act and for the said purpose makes the following amendments, namely:—

In the First Schedule to the said Act, after serial number 36 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"37. Kamatapur Liberation Organisation, all its formations and front organizations."

[F. No. 11011/12/2014-NE-V]

DILIP KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.